8.6.2016

सेवा में,
श्री सुनील कुमार सिंघल
सलाहकार (बी एवं सीएस)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
महानगर दूरदर्शन भवन,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग नई दिल्ली-110002

विषय: इंटरकनैक्शन फ्रेम वर्क फॉर ब्रॉडकास्टिंग टी.वी. सर्विसेज थ्रू एड्रेसेबल सिस्टम के संदर्भ में ट्राई के परामर्शपत्र संख्या 5/2016 पर सुझाव।

इंटरकनैक्शन एग्रीमेंट की क्या रूप रेखा हो, इस पर काफी समय से विवाद चल रहा है। इंडस्ट्री के सभी स्टेक होल्डर्स, ब्रॉडकास्टर्स, एम.एस.ओ. व एल.सी.ओ. के बीच सेवा शर्तो को किस तरह निर्धारित किया जाए ताकि किसी भी पक्ष को यह न महसूस हो कि उसे उपेक्षित किया जा रहा है या सब्सकाइबर से प्राप्त सब्सक्रिप्शन में उस की हिस्सेदारी उसकी सेवाओं को देखते हुए कम है। इसलिए इंटरकनैक्शन की आवश्यकता महसूस की गई।
हालांकि इंटरकनैक्शन पर समय-समय पर चर्चाएं होती रही हैं, पर अभी तक कोई ऐसा रास्ता नहीं निकल सका जिस पर सभी स्टेकहोल्डर्स संतुष्ट हों।
सन् 2004 में इंटरकनैक्शन समझौते का मुद्दा सबसे पहले उठा था। उससे पहले केबल व ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री बेलगाम थी। हालांकि 1995 में केबल टी.वी. एक्ट बन गया था, पर फिर भी केबल टी.वी. ऑपरेटर की कानून के अनुसार कोई अहमियत नहीं थी, जबकि चैनलों को अपनी केबलं द्वारा उपभोक्ता के टी.वी. तक पहुंचाने की जिम्मेदारी केबल ऑपरेटर की ही थी। एम.एस.ओ. व ब्रॉडकास्टर्स केबल ऑपरेटरों पर शुरू से ही मनमानी चलाते आए हैं और सब्सक्रिप्शन के एक बड़े हिस्से की मांग करते आए हैं। सन् 2003 कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (कैस) कानून बनाने की इतिश्री हुई तो उस समय प्रति पे चैनल 5 रुपए और 75 रूपए का पैकेज निर्धारित किया गया। लेकिन कैस खटाई में पड़ गया। फिर 1 जनवरी 2007 को दिल्ली हाइकोर्ट के सख्त रवैए के कारण कैस का प्रथम चरण लागू करवाया गया लेकिन हाइकोर्ट की दखलंदाजी के बाद कैस ने कानून का रूप धारण कर लिया और कैस के प्रथम चरण की शुरुआत हो गई, लेकिन कैस ने अभी पांव पसारे ही नहीं थे कि केंद्र में सरकार बदल गई और कैस के स्थान पर डैस यानि डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम की सुगबुगाहट शुरू हो गई।
1 नवम्बर, 2012 को डैस का प्रथम चरण लागू हुआ, जिसमें 4 मैट्रो सिटी पूरी तरह से डिजिटल हो गए। 1 अप्रैल 2013 को डैस का दूसरा चरण लागू हुआ जिसमें 4 मैट्रो सिटी के साथ भारत के 38 प्रमुख शहर जोड़े गए। यह चरण भी पूरा हो गया पर 31 दिसंबर 2015 को डैस का तीसरा चरण लागू होना था, पर वह कानूनी विवाद का विषय बन गया क्योकि देश के अनेक हाइकोर्टो ने इस पर स्टे दे दिया। हालांकि अब स्टे की अवधि खत्म हो गई है और दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे पर की गई अपीलों को खारिज कर दिया। अब 31 दिसंबर 2016 से डैस का चौथा

All India Aavishkar Dish Antenna Sangh (Regd.)
B-262, Indra Nagar, Delhi-110 033
Telefax : +91-11-27672736 Mobile : +91-9811110410, 9311110410

चरण भी शुरू हो जाएगा और करीब-करीब पूरे देश में प्रसारण व्यवस्था डिजिटल आधारित हो जाएगी। इंडस्ट्री की इतनी लंबी यात्रा के बावजूद इंडस्ट्री के सभी स्टेक होल्डर्स इस इंडस्ट्री को सही दिशा देने के लिए एक ऐसा इंटरकनैक्शन समझौता चाहते हैं जिसमें केबल व ब्रॉडकास्टिंग की सेवा शर्तें तय की जाए।

इसी आवश्यकता को महसूस करते हुए ट्राई ने इंटरकनैक्शन फ्रेम वर्क फॉर ब्रॉडकास्टिंग टी.वी. सर्विसेज थ्रू एड्रेसेबल सिस्टम के संदर्भ में इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स, मीडिया पर्यवेक्षकों व अन्य लोगों से उनके सुझाव आमंत्रित किए हैं,

मुद्दे:

- **क्या सभी प्रकार के एड्रेसेबल सिस्टम के लिए एक ही तरह की इंटर कनैक्शन शर्तें लागू की जानी चाहिए?**

– नहीं, क्योंकि हर एड्रेसेबल सिस्टम की अपनी आवश्यकता होती है। इसलिए एक तरह की शर्तें सभी के लिए लागू करना सही नहीं है। वैसे भी अब डैस आ गया है तो उसको ध्यान में रखकर ही सेवा शर्तें लागू की जानी चाहिए।

- **क्या आपसी सहमति से तय शर्तों पर आधारित समझौता लागू करने की आवश्यकता है?**

– बिल्कुल, क्योंकि इंडस्ट्री के सभी स्टेकहोल्डर्स एकसाथ एक छत के नीचे बैठकर आपसी रजामंदी से सेवाशर्तें तय कर लेते हैं तो यह सबके हित में होगा क्योंकि इसमें एक दूसरे से शिकायत की गुंजाइश नहीं होगी।

- **क्या किसी एक सर्विस प्रोवाइडर के साथ तय हुई सेवा शर्तें(रेट के बारे में)दूसरे सर्विस प्रोवाइडर को बताई जा सकती है?**

– बिल्कुल नहीं। हर सर्विस प्रोवाइडर अपनी शर्तो पर काम करता है इसलिए उस के बारे में दूसरे सर्विस प्रोवाइडर को बताना ठीक नहीं होगा क्योंकि हरेक के बिजनेस की अपनी गोपनीयता होती है।

हिट्स/आईपीटीवी ऑपरेटर और एलसीओ के बीच इंटरकनैक्शन समझौता:

- **क्या मॉडल इंटरकनैकशन एग्रीमैंट (एमआईए) और स्टैडर्ड इंटरकनैक्शन एग्रीमैंट (सिया) की सेवा शर्तें जो डैस के माध्यम से केबल टी.वी. सेवा पर लागू हैं क्या हिट्स व आईपीटीवी पर भी लागू हैं?**

– हां, हिट्स पर ये शर्तें लागू हैं क्योंकि हिट्स भी केबल टी.वी. सदृश्य ही है और हिट्स सर्विस प्रोवाइडर (एच. एस.पी.) के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में पंजीकृत करना पड़ता है। केबल टी.वी. और हिट्स में तकनीकी अंतर सिर्फ दो फ्रिक्वेंसी की टैक्नोलॉजी का ही है जबकि आईपीटीवी केबल टी.वी. से एकदम अलग है और टैल्को डोमेन द्वारा संचालित होता है।

All India Aavishkar Dish Antenna Sangh (Regd.)
B-262, Indra Nagar, Delhi-110 033
Telefax : +91-11-27672736 Mobile : +91-9811110410, 9311110410

मुद्दा सब्सक्रिप्शन में शेयरों का:

केबल टी.वी. के सामने सबसे बड़ी समस्या सब्सक्रिप्शन में शेयरों को लेकर है। इसलिए एल.सी.ओ., एम.एस.ओ. और ब्रॉडकास्टर्स के बीच पैसों का वितरण किस तरह किया जाए, यह सबसे अहम है इसीलिए जब भी इंटरकनैक्शन समझौतो की बात उठाई जाती है तो यह मुद्दा भी उठाया जाता है पर अब तक की कार्रवाई से ऐसा कोई ठोस नतीजा इस संबंध में सामने नहीं आया है। इस इंडस्ट्री को पूरे 26 वर्ष हो चले हैं पर केबल व्यवसाय का कोई माईबाप नजर नहीं आता।

सब्सक्राइबर से मिलने वाली राशि का एक बड़ा हिस्सा ब्रॉडकास्टर्स को चला जाता है। जबकि उसकी आमदनी का जरिया विज्ञापन भी हैं।

ऐसी स्थिति में सब्सक्रिप्शन राशि में उसकी हिस्सेदारी बिल्कुल भी नहीं बनती। पर फिर भी वह अपनी धौस चलाता है। ब्रॉडकास्टर के बाद एम.एस.ओ. का भी हिस्सा सब्सक्रिप्शन राशि में होता है, जो केबल ऑपरेटर की तुलना में बहुत ज्यादा होता है।

इसलिए ट्राई को इंटरकनैक्शन समझौते में ऐसे नियम बनाने की आवश्यकता है जिसमें एम.एस.ओ. की हिस्सेदारी कम की जा सके। एम.एस.ओ. अपने चैनल भी चलाते हैं, जिनसे उन्हें अच्छी आमदनी होती है जबकि केबल टी.वी. ऑपरेटर जो लोकल वीडियो चैनल चलाकर व विज्ञापन दिखाकर कमाई कर लेते थे उस पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। जबकि असली जिम्मेदारी केबल टी.वी. ऑपरेटर ही उठाता है और अपने नेटवर्क पर उसे भारी खर्च करना पड़ता है। ऐसे में सब्सक्रिप्शन राशि में उसकी सबसे कम हिस्सेदारी गले नहीं उतरती।

मुद्दा मनोरंजन कर का:

पूरी ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री जो कि मनोरंजन परोसती है और मोटी कमाई करती है को मनोरंजन कर के दायरे से दूर रखा गया है। आखिर क्यों? क्यों नहीं उन पर केबल टी.वी. ऑपरेटर की तरह मनोरंजन कर लगाया गया है।

उल्लेखनीय है कि भारत के अनेक राज्यों में केबल व्यवसाय पर मनोरंजन कर लागू है।

दिल्ली में तो यह 100 प्रतिशत बढ़ा दिया गया केजरीवाल सरकार द्वारा जबकि केबल ऑपरेटरों की आमदनी में तो कोई इजाफा नहीं हुआ। मनोरंजन कर लगने पर जब केबल ऑपरेटरों ने सब्सक्राइबरों से कर की रकम वसूलने का निर्देश दिया तो उन्हें कनैक्शन कटवाने की धमकी दी जाने लगी। बेचारा ऑपरेटर क्या करता, अक्सर उसे अपनी जेब से कर भरना पड़ जाता है।

ट्राई को इंटरकनैक्शन के मसले को अंजाम देते समय इस दिशा में भी सोचने की आवश्यकता है।

- **केबल टी.वी. पंजीकरण हर वर्ष क्यों?**

– केबल टी.वी. का पंजीकरण हर वर्ष कराना पड़ता है। शुरू में पंजीकरण शुल्क 50 रुपए सालाना देनी पड़ती थी लेकिन अब यह 500 रुपए है।

देशभर में हजारों की संख्या में केबल टी.वी. ऑपरेटर हैं इस तरह सरकार को पंजीकरण शुल्क से करोड़ों की कमाई होती है, पर उसके बावजूद केबल व्यवसाय सरकारी रिआयतों से दूर रखा गया है। ट्राई को इस दिशा में भी सोचने की जरूरत है।

All India Aavishkar Dish Antenna Sangh (Regd.)
B-262, Indra Nagar, Delhi-110 033
Telefax : +91-11-27672736 Mobile : +91-9811110410, 9311110410

मुद्दा डैस में इंटरकनैक्शन का:

- **विभिन्न एड्रेसेबल सिस्टम के संबंध में इंटरकनैक्शन एग्रीमैंट पर ट्राई द्वारा मांगे गए सुझाव का अब कोई औचित्य नहीं है क्योंकि दिंसबर 2016 तक डैस पूरे देश में लागू हो जाएगा।**

– ऐसी स्थिति में डैस द्वारा तकनीकी परिवर्तन होना लाजिमी है। इसलिए जो भी इंटरकनैक्शन एग्रीमैंट अब किए जाएं उन्हें डैस के परिप्रेक्ष्य में देखना जरूरी होना चाहिए।

तकनीक नई है इसलिए केबल ऑपरेटर, ब्रॉडकास्टर्स और एम.एस.ओ. के बीच सब्सक्रिप्शन को लेकर, सिग्नल को लेकर लाइसेंस को लेकर व अन्य विवादों को लेकर व अन्य सेवा शर्तो को लेकर एग्रीमैंट किए जाने चाहिए और इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि लास्ट माइल ऑपरेटरों के हित को नुकसान न पहुंचे।

शुभकामनाएं

अध्यक्ष, आल इंडिया आविष्कार डिश एंटीना संघ
बी–263, इंद्रा नगर, दिल्ली–110033
मो:–91–9811110410
ई–मेल:– dr.akrastogi@gmail.com